



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 23, 2013/माघ 3, 1934

No. 222]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 23, 2013/MAGHA 3, 1934

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2013

का.आ. 238(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2585(अ), दिनांक 9 अक्टूबर, 2009 का आंशिक आशोधन करते हुए, श्री किशोर कुमार शर्मा, अतिरिक्त मंडल आयुक्त कोटा मंडल, राजस्थान सरकार, को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कोटा-जौबनेर पाइपलाइन परियोजना के लिए राजस्थान राज्य के भीतर एवं बीना-कोटा पाइपलाइन परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य क्षेत्र के भीतर और मांगल्या (इंदौर) से पियाला/बिजवासन तक की मुम्बई, मांगल्या पाइपलाइन विस्तार परियोजना के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के भीतर सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. आर-31015/4/2012-ओआर-II]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2013

S.O. 238(E).—In partial modification of notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 2585(E), dated the 9th October, 2009 and in pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorises Shri Kishore Kumar Sharma, Additional Divisional Commissioner Kota Division, to perform the functions of the Competent Authority under the said Act, for Bharat Petroleum Corporation Limited's Kota-Jobner pipeline in the State of Rajasthan in addition to his role as Competent Authority for Bharat Petroleum Corporation Limited's Bina-Kota Pipeline Project for States of Rajasthan and Madhya Pradesh and Mumbai-Manglya Pipeline Extension Project from Manglya (Indore) to Piyala/Bijwasan within NCT of Delhi and States of Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan.

[F.No. R-31015/4/2012-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.